

09.09.25

पत्रावली बेश डुई । वकील वादी या वादी
संप उपस्थित नहीं । बार-बार अपाज लगाने
पर भी उपस्थित नहीं हुए अतः वादी का यह वादपत्र
अदम पैरवी - अदम हाजिरी में इमी स्तर पर
खारिज किया जाता है । पत्रावली काइ तरीक
तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया ।



(सुनीलकुमार चौधान)
R.A.S.